

का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

/ 202.....

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

10/11/25

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आवत की
सुनवाई एवं विज्ञापित जाने के बाद प्रत्येक
तक कर आज नरी केसी में ली गयी। वादी अपने
वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं इस संबंध में प्रार्थना
पत्र प्रेषित किया गया। दौरान सहित अधिवक्ता प्रार्थना
वाद पत्र विज्ञापित जाने की अनुमति प्रदान करते
संबंधित विवरण किया गया।

मूल नं.
202/25
[Signature]

सहित अधिवक्ता प्रार्थना वादी पर गत क्रिया
गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रत्येक का अवलोकन किया
गया। प्रार्थना वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संबंधित
विज्ञापित जाने प्रत्येक की प्रतीति प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना वादी द्वारा प्रस्तुत विज्ञापित प्रार्थना
पत्र के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा
188 R.T.A. खारिज किया जाता है। प्रत्येक केसल
धुमर हीकर नंबर से कम हीकर दारिदर दन्तर ही

उपखण्ड अधिकारी
जोधनेर, जयपुर